



सत्यमेव जयते

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2008 व संशोधित नियम 2012
उपाबंध 3
(नियम 8 (6ज) देखें)
समुदायिक वनाधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- घाटबर्वा ग्रामसभा
(उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा :- घाटबर्वा
3. ग्राम पंचायत :- घाटबर्वा
4. तहसील/तालुका :- उदयपुर
5. जिला :- सरगुजा
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :- अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

- धारा 3 (1) ख - निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार - जलाउ लकड़ी का अधिकार।
धारा 3 (1) ग - गौण वन उत्पाद पर स्वामित्व उनका संग्रह, उपयोग, मूल्य वृद्धि एवं बेचने का अधिकार।
धारा 3 (1) घ- चारागाह के उपयोग का अधिकार।

8. शर्तें यदि कोई हो :- (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)

1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
3. जलाउ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनोत्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
6. वन विभाग के कार्ययोजना व अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जाएगा।
7. लघु वनोपज का विनाश विहित विदोहन किया जाएगा।

9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर)	निस्तार का अधिकार (जलाउ लकड़ी एवं चराई) (हेक्टेयर)	गौण वनोपज पर अधिकार (हेक्टेयर)
पी 2002	246.549	25.000	246.549
पी 2003	224.738	25.000	224.738
पी 2004	339.634	25.000	339.634
कम्पार्टमेंट सं-03, कुल रकबा- 810.921 हेक्टेयर			

रूढ़िजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :- मनवार मुड़सेरी, बुड़ार, नानदेवरी मुड़सेरी, हरदीकुंडी, बरहापखना, खालकेरा, पेटलीसेमर, हांथीपखना, घेपटामुंदास, खोसोटीनाखा, सांघरदरहा, ठठरीबांका, गोफलानाखा, कुरोपखना, ललमटिया, कोठीझरिया, पेण्ड्राडांड, हरंघाट, ठिका दरहा, हरहुंडमाड़ा, बाड़ादरहा, दुवारी, धनसुर।

(चौहद्दी)

उत्तर दिशा में- ग्राम परसा, दक्षिण दिशा में- ग्राम जामपानी, पूर्व दिशा में- ग्राम परोगिया पश्चिम दिशा में- ग्राम फतेहपुर।

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम :- घाटबर्वा ग्रामसभा के सभी नागरिक।

हम अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मंडलाधिकारी
वनमंडल/उपनिर्देशक
सरगुजा वनमंडल
अधिकाधिकार(उ.ज.)



कलेक्टर
सरगुजा (उ.ज.)

उपस्थित बापुसा
पारिवारिक/सामुदायिक/व्यक्तिगत
उत्पत्ती (. .)